भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1867
जिसका उत्तर शुक्रवार, 06 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

नामांकन फॉर्म में दिव्यांगता स्थिति हेतु कॉलम

1867. श्री कीर्ति आज़ाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग नामांकन पत्र दाखिल करने वाले व्यक्तियों की दिव्यांगता स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मांगते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने भारत के निर्वाचन आयोग से नामांकन फार्म में दिव्यांगता की स्थिति के लिए एक कॉलम पर विचार करने का अनुरोध किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) पिछले आम चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है ; और

(च) पिछले आम चुनाव में राज्य-वार कितने दिव्यांग व्यक्ति विजयी हुए ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) और (ख) : भारत निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि कानूनी नामांकन प्ररूपों में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले व्यक्तियों की दिव्यांगता की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मांगी जाती है।

(ग) : नहीं।

(घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च): भारत निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि चूंकि कानूनी नामांकन प्ररूपों में दिव्यांगता की स्थिति वाले व्यक्तियों को चिह्नित करने का कोई उपबंध नहीं है, इसलिए यह जानकारी नहीं रखी जाती है।

****